नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग

शुद्धिपत्र

दिनांक 12 अगस्त, 1998

क्र० सी० सी० पी० (एन० सी० आर०) बी० सी० ए०/98/1280.—हरियाणा सरकार, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग अधिसूचना क्र० सी० सी० पी० (एन० सी० आर०) बी० सी० ए/98/171, दिनांक 27 जनवरी, 1998 जिसका प्रकाशन हरियाणा सरकार राजपत्र दिनांक 3 मार्च, 1998 में हुआ है, इसके अधिकृत हिन्दी अनुवाद में सूची में :—

1. पृ० क्र०—111 पर पंक्ति नं० 3 में शब्द "संग्दर्भ" को ''संदर्भ'' पढ़ा जाये ।

2. पृ० क्र०—117 पर विनियम क्रमांक (ङ) में शब्द "अनुषंगी" को "अनुपंगी" पढ़ा जाये ।

3. पृ० क्र०—117 पर विनियम क्रमांक (छ) में शब्द "ई" को "है" पढ़ा जाये ।

4. पृ० क्र०—120 पर आखरी पंक्ति में शब्द " नुमत" को "अनुमत" पढ़ा जाये ।

5. पृ० क्र०—126 पर रिहायशी जोन शीर्ष के निम्नलिखित मुख्य शास्ति खंड, सैक्टर योजना अथवा कलोनियों की अनुमोदित अभिविन्यास योजना में उनके लिए निर्धारित स्थलों पर मुख्य उपयोग की स्थानीय जरूरतों की आवश्यकता के अनुसार, "के स्थान पर निम्नलिखित मुख्य शास्ति खंड रखा जायेगा, अर्थात् "निदेशक के द्वारा सैक्टर/कालोनी की योजना में अनुमोदित स्थलों पर मुख्य उपयोग की स्थानीय जरूरतों एवं नगर की जरूरतों के अनुसार" पढ़ा जाये ।

6. पृ० क्र०—127 पर परिवहन तथा संचार जोन शीर्ष के नीचे निम्नलिखित मुख्य शासित खंड, " उक्त अधिनियम की धारा—3 के उपबन्धों के अनुसार निदेशक द्वारा अनुमोदित स्थलों पर", के स्थान पर निम्नलिखित मुख्य शासित खंड रखा जायेगा अर्थात् :—

''निदेशक द्वारा अनुमोदित अनुसार''

भास्कर चटर्जी,

आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग ।

राजस्व विभाग

युद्ध जागीर

दिनांक 26 मई, 1998

क्रमांक 913—ज—2—98/5708.—श्री सुखपाल सिंह, पुत्र श्री चितरू, निवासी गांव दौलताबाद, तहसील गुड़गांवा, जिला गुड़गांवा को पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार, अधिनियम, 1948 की धारा 2(ए) (1ए) तथा 3(1ए) के अधीन सरकार की अधिसूचना क्रमांक 902—ज—(11)—78/19356 दिनांक, द्वारा 150 रुपये वार्षिक और उसके बाद अधिसूचना क्रमांक 1789—ज—I—79/ /44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 द्वारा 300 रुपये वार्षिक की दर से जागीर मंजूर की गई थी ।

2. अब श्री सुखपाल सिंह की दिनांक 16 दिसम्बर, 1994 को हुई मृत्यु के परिणाम स्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, उपरोक्त अधिनियम (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस जागीर को श्री सुखपाल सिंह की पत्नी श्रीमति किसतुरी देवी के नाम खरीफ, 1995 से 1000 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील करते हैं ।

दिनांक 1 जुलाई, 1998

क्रमांक 1106—ज—2—98/7116.—श्री बन्ता सिंह, पुत्र श्री काला सिंह, निवासी गांव ब्राह्मण माजरा, तहसील नारायणगढ़, जिला अम्बाला को पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम, 1948 की धारा 2(ए) (1ए) तथा 3(1ए) के अधीन सरकार की अधिसूचना क्रमांक

318-ज-I-80/11918, दिनांक 7 अप्रैल, 1980 द्वारा 150 रुपए वार्षिक और उसके बाद अधिसूचना क्रमांक 1789-ज-I-79/44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 द्वारा 300 रुपए और बाद में अधिसूचना क्रमांक 2944-ज-2-93/15918, दिनांक 26 अगस्त, 1993 द्वारा 1,000 रुपये वार्षिक की दर से जागीर मंजूर की गई थी ।

2. अब श्री बन्ता सिंह की दिनांक 1 अप्रैल, 1995 को हुई मृत्यु के परिणाम स्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, उपरोक्त अधिनियम (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस जागीर को श्री बन्ता सिंह की पत्नी श्रीमति धर्म कौर के नाम रबी, 1995 से 1,000 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील करते हैं।

दिनांक 14 जुलाई, 1998

क्रमांक 1279-ज-2-98/7680.—श्री सुबे सिंह, पुत्र श्री चन्द राम निवासी गांव मायना (अब काहनी), तहसील रोहतक, जिला रोहतक को पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम, 1948 की धारा 2 (ए) 1(ए) तथा 3(1ए) के अधीन सरकार की अधिसूचना क्रमांक 429-ज (II)-82/11336, दिनांक 30 मार्च, 1982 द्वारा 150 रुपये वार्षिक और इसके बाद अधिसूचना क्रमांक 1789-ज-I-79/44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 द्वारा 300 रुपये और बाद में अधिसूचना क्रमांक 2944-ज-2-93/15918, दिनांक 26 अगस्त, 1993 द्वारा 1,000 रुपये वार्षिक की दर से जागीर मंजूर की गई थी।

2. अब श्री सुबे सिंह की दिनांक 1 अप्रैल, 1998 को हुई मृत्यु के परिणाम स्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, उपरोक्त अधिनियम (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये इस जागीर को श्री सुबे सिंह की पत्नी श्रीमती भरतो देवी के नाम खरीफ, 1998 से 1,000 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील करते हैं।

दिनांक 24 जुलाई, 1998

क्रमांक 1011-ज-2-98/8260.—श्री चन्दन सिंह, पुत्र श्री उदमी राम, निवासी गांव रूखी, तहसील गोहाना, जिला सोनीपत की पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम, 1948 की धारा 2 (ए) (1ए) तथा 3(1ए) के अधीन सरकार की अधिसूचना क्रमांक 1561-ज-(1)-85/844, दिनांक 8 जनवरी, 1986 द्वारा 150 रुपये वार्षिक और उसके बाद अधिसूचना क्रमांक 1789-ज-I-79/44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 द्वारा 300 रुपये और बाद में अधिसूचना क्रमांक 2944-ज-2-93/15918, दिनांक 26 अगस्त, 1993 द्वारा 1,000 रुपये वार्षिक की दर से जागीर मंजूर की गई थी।

2. अब श्री चन्दन सिंह की दिनांक 21 अगस्त, 1994 को हुई मृत्यु के परिणाम स्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, उपरोक्त अधिनियम (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है, और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये, इस जागीर को श्री चन्दन सिंह की पत्नी सुनैहरी के नाम रबी, 1995 से 1,000 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील करते हैं।

सुन्दर दास,

अवर सचिव, हरियाणा सरकार,
राजस्व विभाग।

गृह विभाग

आदेश

चूंकि हरियाणा के राज्यपाल, राज्य में सम्भावित परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, संतुष्ट हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 की धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन जिलाधीशों को तुरन्त कार्यवाही करने हेतु प्राधिकृत करना आवश्यक है।

2. इसलिए, उक्त अधिनियम की धारा की उपधारा (3) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा निर्देश देते हैं कि उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन राज्य सरकार की शक्तियां हरियाणा राज्य के सभी जिलाधीशों द्वारा भी उनकी अपनी-अपनी अधिकारिता के भीतर (दिनांक 22 जुलाई, 1998 से 21 अक्तूबर, 1998 तक) तीन मास की अवधि के लिये प्रयोग की जा सकेंगी।

के० जी० वर्मा,

वित्तायुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
गृह विभाग।